16/1/23	तहसीलदार झा० पाटन के पत्रांक 26 दि० 13/1/23 से रिपोर्ट प्राप्त होने पर पत्रावली आज दि० 16/1/23 को पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील प्रार्थी को सुना गया। प्रा० पत्र स्वीकार किया जाता है। आदेश पृथक से लिखाया जाकर शामिल फाइल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील दाखिल दफ्तर हो।
	(हस्ताक्षर) **उपखण्ड अधिकारी** **झालावाड़**

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़

प्रकरण संख्या / 605 / प्रार्थना पत्र / 2022
उनवानः–

तारीख दायरा 26.12.2022

रेखा लालवानी पुत्री राजकुमार जाति सिंधि निवासी झालावाड़ .. प्रार्थिया

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झालरापाटन

.. अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट

उपस्थित :–

1. श्री रामबाबू माहेश्वरी वकील प्रार्थिया
2. पेरोकार सरकार अप्रार्थी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी * झालावाड़ (राज.) *

–:: आदेश ::–

दिनांक 16 जनवरी 2023

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम रलायती पटवार हल्का खानपुरिया तहसील झालरापाटन खसरा नम्बर 239 / 438 की 02 बीघा 13 बिस्वा भूमि प्रार्थिया की खातेदारी में दर्ज है । इस आराजी में से प्रार्थिया द्वारा 15 बिस्वा भूमि आवासीय उपयोग हेतु रूपान्तरित करवाया था जो विहित प्राधिकारी झालावाड़ के आदेश दिनांक 23.01.2007 के अनुसार गैर मुमकिन आबादी में रूपान्तरित हुई जिसका नामान्तरकरण संख्या 431 दिनांक 27.01.2007 को तस्दीक किया गया । रूपान्तरित उक्त आवासीय भूमि 15 बिस्वा राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुआ जिलस एक नजरी नक्शा भी तैयार किया गया जिसमें आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित की जाने वाली भूमि को प्रस्तावित भूमि के रूप में दर्शाया गया । आवासीय प्रयोजनार्थ भूमि का खसरा नम्बर 562 / 438 व शेष भूमि का खसरा नम्बर 563 / 438 राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया गया । वर्तमान में खसरा नम्बर 462 / 438 का जो नक्शा ट्रेस तैयार किया गया है उसमें गलत तौर से सम्परिवर्तित भूमि एवं प्रार्थिया की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 563 / 438 जिसके हाल खसरा नम्बर 665 / 438 हैं का रकबा 0.4552 हैक्टेयर है । नक्शा ट्रेस से उसका पूर्व में सम्परिवर्तन आदेश के नक्शे से बदल दिया गया है जिसकी वजह से प्रार्थिया की सम्परिवर्तित भूमि एवं शेष भूमि की स्थिति रेकार्ड व मौके पर बदल गई है जिसे न्याय हित में दुरूस्त / तरमीम किया जाना आवश्यक है । मुताबिक जमाबन्दी 2076–79 के अनुसार भी खाता संख्या–1 में खसरा नम्बर 562 / 438 रकबा 0.1897 हैक्टेयर गैर मुककिन आवाद के रूप में दर्ज हो चुकी है । राजस्व रेकार्ड के नक्शा ट्रेस में जो गलत हुई है वह राजस्व कर्मचारियों की गलती से हुई है, जबकि सम्परिवर्तित भूमि खसरा नम्बर 562 / 438 और प्रार्थिया की खातेदारी की शेष भूमि खसरा नम्बर 665 / 438 का रकबा अलग–अलग है । जिसे पूर्व नक्शे के अनुसार संशोधित किया जाना आवश्यक है । अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थिया की अकृषि आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूमि खसरा नम्बर 562 रकबा 00.1897 हैक्टेयर गैर मुमकिन आबादी को वर्तमान नक्शा ट्रेस में सम्परिवर्तन आदेश के साथ सलंग्न नक्शे एवं उसके बाद तरमीमशुदा नक्शों के अनुसार संशोधन किये जाने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान किये जावें ताकि पूर्व के नक्शे एवं वर्तमान नक्शे में एकरूपता बनी रहे । व रकबा भी यथावत रहे ।

प्रार्थना पत्र प्रार्थिया दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया । अप्रार्थी की ओर से अपने पत्र कमांक 26 दिनांक 13.1.2023 से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम रलायती में खसरा

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़

नम्बर 239/438 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा भूमि में से विहित प्राधिकारी के आदेश से 15 बिस्वा भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित की गई जिसका नामान्तरकरण संख्या 431 दिनांक 27.1.2007 से 15 बिस्वा भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ 239/438 रकबा 1897 वर्गमीटर राजस्व रेकार्ड दर्ज हुआ जो आवासीय भूमि का खसरा नम्बर 563/438 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा दर्ज हुआ जिसका नजरी नक्शा सलंग्न है । रूपान्तरण के पश्चात आवासीय प्रयोजनार्थ भूमि का रकबा 0.17 बीघा का खसरा नम्बर 562/438 व शेष भूमि का रकबा 1.18 बीघा का खसरा नम्बर 563/438 दर्ज किया । वर्तमान में खसरा नम्बर 562/438 की स्थिति संपरिवर्तन आदेश तथा पूर्व में जारी ट्रेस से भिन्न होना ज्ञात हुआ है जो कि उक्त सेग्रीगेशन कार्य के समय हुई त्रुटि है । उक्त खसरा नम्बर 562/438 को वर्तमान में पूर्व में जारी संपरिवर्तन आदेश व नक्शा ट्रेस के आधार पर संशोधित किये जाने उचित बताया ।

हमने वकील प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस प्रार्थना पत्र सुनी तथा प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत रेकार्ड, अप्रार्थी तहसीलदार झालरापाटन द्वारा जवाब के सलंग्न रेकार्ड एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया ।

दौराने बहस वकील प्रार्थी द्वारा दिये गये तर्को से हम सहमत है । प्रार्थिया की अकृषि आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूमि खसरा नम्बर 562/438 रकबा 0.1897 है0 (1897 वर्गमीटर) गैर मुमकिन आबादी को वर्तमान नक्शा ट्रेस में एवं उसके बाद तरमीमशुदा नक्शों के अनुसार संशोधन करना उचित समझते हैं । ताकि पूर्व के नक्शे एवं वर्तमान नक्शे में एकरूपता बनी रहे एवं रकबा भी यथावत रहे । तहसीलदार सरकार ने भी अपने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्तमान खसरा नम्बर 562/438 की स्थिति संपरिवर्तन आदेश तथा पूर्व में जारी ट्रेस से भिन्न होना बताया है यह त्रुटि सेग्रीगेशन कार्य के समय हुई है जिसे दुरूस्त किया जाना न्याय हित में उचित प्रतीत होता है । अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थिया स्वीकार किया जाकर तहसीलदार झालरापाटन को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रार्थिया की अकृषि आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूमि खसरा नम्बर 562/438 रकबा 0.1897 हैक्टेयर (1897 वर्गमीटर) गैर मुमकिन आबादी को वर्तमान नक्शा ट्रेस में संपरितर्वन आदेश के साथ सलंग्न नक्शे एवं उसके बाद तरमीमशुदा नक्शों के अनुसार संशोधित कर राजस्व रेकार्ड में अमल करें ।

आदेश आज दिनांक 16 जनवरी 2023 को हमारे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़

क्रमांक/रीडर/2023/

दिनांक 16 जनवरी 2023

प्रतिलिप :-

1. तहसीलदार झालरापाटन को उक्त आदेशानुसा राजस्व रेकार्ड में अमल करने हेतु प्रेषित है ।
2. रेखा लालवानी पुत्री राजकुमार लालवानी, जाति सिंधि निवासी झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़